

**By Speed Post**  
**RTI MATTER**  
**(To be issued in Hindi)**

No. VI.23014/94/2014-VS  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(PP Division)

NDCC-II Building, 3<sup>rd</sup> Floor,  
Jai Singh Road,  
New Delhi-110001, dated: 7<sup>th</sup> July, 2014

To

Shri Rajendra Singh Raja,  
D-1/514, Nand Nagari,  
Delhi- 110093.

**Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.**

\*\*\*

Sir,

Please refer to your RTI application dated 16.05.2014 received in this unit on transfer on 20.06.2014 for providing information on Point Nos. (8) to (12) of your application.

2. As regards point Nos. (8) to (10) of your application, it is stated that provision of security to an individual is primarily the responsibility of the State Government concerned, in whose jurisdiction such individual is ordinarily resident or happens to be. Due to the involvement of multiple agencies, including state government agencies, it is difficult to calculate the actual expenditure incurred on providing security cover and such details are not maintained in this office.


3. Regarding total number of categorized protectee, it is stated that it is not possible to arrive at the exact number of categorized protectee as it varies from time to time based on the threat assessment made by the Central Security Agencies. However, as on date, there are **269** threat based Protectees in the Central list. Some information in this regard may also be available with Delhi Police. A copy of your application has already been forwarded to Delhi Police by RTI Cell, MHA. Further details, including details with regard to number of security personnel and vehicles are exempted under Section 24(1) and 8(1)(g) of the RTI Act-2005 and cannot be disclosed .

4. Some information may also be available with SPG. Accordingly, a copy of you application is being transferred to CPIO, SPG for providing information directly to you.

5. Point Nos. (11) and (12) of your application may pertains to Delhi Police, to whom a copy of your application has already been forwarded as stated above.

6. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Sailesh, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3<sup>rd</sup> Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Yours faithfully,

  
(Girish Kumar)  
Director (VS) & CPIO  
Tele:23438120  
Fax:23438077

Copy to:

- (i) ACP & CPIO, Delhi Police, Delhi Police Headquarter, MSO Building, I.P. Estate, New Delhi along with a copy of RTI application of Shri Rajendra Singh Raja.
- (ii) Shri S.S. Srivastava, Dy. Inspection General & CPIO, SPG, 9 Race Course Road, New Delhi along with a copy of RTI application dated Nil of Shri Rajendra Singh Raja.
- (iii) Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2014-RTI dated 13.06.2014.
- ✓(iv) S.O. (IT), MHA, North Block, New Delhi alongwith a copy of RTI application of Shri Rajendra Singh Raja for disclosure on MHA website.

श्रीमान् पी. आई. ओ / जनसूचना अधिकारी जी

गृह अंतर्गत, भारत सरकार  
गोपनीयता नई दिल्ली - 110001

दिनांक	16.05.14
संख्या	65458
विषय	

विषय : आर. टी. आई एक्ट 2005 के तहत आवेदन पत्र।

मान्यवर / महोदया,

मुझे नीचे लिखी सूचनाएं आर. टी. आई. एक्ट के तहत देने का कष्ट करें। देय शुल्क रुपये 10 का आई. पी. ओ. नम्बर 21.F.99.69.61. इस आवेदन के साथ संलग्न है। संबंधित अधिकारी / लेखाधिकारी / प्रभारी कोषागार के नाम भरकर वसूले तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद, पता भी सूचना के साथ देने की कृपा करें।

नोट : जो सूचना आपके पास उपलब्ध न हो, वह सूचनाएं आर. टी. आई. एक्ट की धारा 6 (3) के तहत यह आवेदन सम्बन्धित सूचना अधिकारी को दाखल कर दिलाने की कृपा करें।

- 1 मैंने एक पत्र दि. 21/01/14 को स्पेशल हेड कार गृहमंत्री जी के नाम भेजा था, प्रति संलग्न है, जिस-से इस पत्र पर गृहमंत्रीसभ द्वारा जो गैर कार्यवाहियों को सम्बन्ध सूचनाएं दें ? यदि यह पत्र भ्रष्ट सम्बन्धित पिछला/प्राथमिक ले जाया है तो यह पत्र उन्हें प्रोत्साहित कर सचिवों/विद्युतों को समतल को गैर कार्यवाहियों को सूचनाएं दें/दिलाने ?
- 2 अर्द्ध शतक से दिल्ली में रह रहे बंगालदेशियों को हटाव सं-पत्रों के लिए दि. 20/1/13 से आज तक गृहमंत्रीसभ के कार्यालयों को सूचनाएं दें ?
- 3 दि. 20/1/13 से आज तक गृहमंत्रीसभ के रिजिस्ट्रार कृष्-किताने अर्द्ध शतक से भारत में रह रहे बंगालदेशियों को विरफ्तार कर जेलों में भेजा गया है, और कितनों को कामस डिप्युट रिजि-गया है, और कितने अर्द्ध जेलों में बन्द हैं ? कृपया राज्यसभ-सभ सूचनाएं दें/दिलाने ? सभी राज्यों की जाबत सूचनाएं दें ?
- 4 अर्द्ध शतक से भारत में रह रहे बंगालदेशियों के सहायकों, अध-कों, महामन्त्र, मीटर आइकों, राजा सरकारों साह-साह कर क्या रही हैं या यह बंगालदेशी बंदीलों हैं इस संबंध में गृहमंत्रीसभ के कार्या-द, कार्यालयों को सूचनाएं दें ?
- 5 दिल्ली के जेस-2 क्षेत्र में अर्द्ध शतक से बंगालदेशी आकर रहे हैं क्या इन क्षेत्रों की महामन्त्रों/विद्युतों के अलावा...

LT /  
65458

Dia (Foreign)  
2-2

16/5/14

12) मूढ मन्त्रालय के रिपोर्ट अनुसार नई दिल्ली सरकार से -  
 ॥ स्वीट कोर्टों का सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में कृतज्ञ दिवाने सुरक्षा कोर्स -  
 लेना है हैं एक समय में, और यासिक मुस लिहवा रखी होला है

13) मूढ मन्त्रालय के जारी सपना दिवा-दि देहा ज दि मय लख् कर्षी  
 मूढ मन्त्रालय व खोपकारी में पर, जेस प्रथा सब पर लखू होत  
 लख् कर्षी सरकार व प्रचारिक लखी खोपकारी हव लोदे व  
 को जावते है या नही सूचना दे ?

14) मूढ मन्त्रालय के लख् कोव-६ से विज्ञापन धाते हैं / जारी करत  
 सभी के काम बताये ?

15) मूढ मन्त्रालय को मूढ जावकारी है कि लख् कर्षी राज्य व  
 लखी खोपकारी लोपकार व ~~...~~ धाते है ?

16) मूढ मन्त्रालय के अनुसार लखी खोपकारी लोपकार लखी खोपकारी  
 लोपकार लोपकार है या नही है ? लखी खोपकारी लोपकार लोपकार  
 लोपकार है या नही सूचना दे ?

17) मूढ मन्त्रालय के अनुसार लख् कर्षी भारत का हिस्सा /  
 है ? और इस राज्य में भारतीय सौम्य धाव न कायू व लोपकार  
 है या नही ?

खतरा साहित्य

जामे देक :-

राजेंद्र सिंह राव

20/5/14, लखी खोपकारी

दिनांक = 11/05/14

...

DSKE

web site

DSKE  
 Di...

DSKE  
 ...

DSKE